153

संख्या–99 / XXiv–4 / 2014–9(9) / 2012

प्रेषक,

एस0राजू0,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
माध्यमिक शिक्षा,
उत्तराखण्ड देहरादून।

माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–4 देहरादूनः दिनांक 18 फरवरी, 2014

विषयः–पैनखण्डा इण्टर कालेज सलूड डुंग्रा जोशीमठ, जनपद चमोली को इण्टर स्तर पर सवित्त मान्यता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–06(03) / 315(2) / 69992 / 2013–2014, दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय पैनखण्डा इण्टर कालेज सलूड डुंग्रा जोशीमठ, जनपद चमोली को इण्टर स्तर पर मानविकी एवं विज्ञान वर्ग की सवित्त मान्यता दिये जाने पर विद्यालय हेतु प्रधानाचार्य–01, प्रवक्ता के 10, वरिष्ठ लिपिक–01 तथा लैबवियर के 01 (कुल–13) शासनादेश निर्गत होने अथवा नियमित नियुक्ति होने, जो भी बाद में हो से दिनांक 28 फरवरी, 2014 तक बशर्ते कि यह पद बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिये जाये, सृजन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः–

क0सं0	पदनाम	वेतनमान / वेतन वैन्ड	सृजित होने वाले पदों की संख्या
1	2	3	4
1.	प्रधानाचार्य	रू0 15600–3900 ग्रेड पे–7600	01 (हाईस्कूल से समायोजित)
2.	प्रवक्ता	रू0 9300–34800 ग्रेड पे–4800	10
3.	वरिष्ठ सहायक	रू0 (5200–20200) ग्रेड पे–2800	01
4.	लैबवियर	आउटसोर्सिंग	01
		कुल पद–	13

2. उपर्युक्त तालिका में अंकित पदों का सृजन इस शर्त के साथ मान्य होगा कि सम्बन्धित विद्यालयों में वास्तविक आवश्यकता तथा वर्तमान में छात्र संख्या एवं सम्बन्धित पदधारक प्रतिवादन पढ़ाई हेतु निर्धारित मानकों को पूर्ण करते हों तथा इसका परीक्षण मुख्य शिक्षा अधिकारी द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

3. सृजित पदों के सापेक्ष नियुक्तियां उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 एवं इसके अर्न्तगत बनाये गये विनियम, 2009 में वर्णित निर्धारित प्रकिया तथा आउटसोर्सिंग के पद उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के अनुसार नियमानुसार किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा तथा विद्यालय का अनुशासन सन्तोषजनक हो।

...2

H.C.

4. उक्त विद्यालयों में यदि किन्हीं प्रतिबन्धों/शर्तो की पूर्ति अवशिष्ट हो, तो उन्हें एक निर्धारित अवधि के भीतर संस्थाधिकारियों को शर्तो/प्रतिबन्धों की पूर्ति के निर्देश दे दिये जाय।

5. उक्त पदों के सापेक्ष चयन प्रकिया उमादेवी वाद में मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुरूप एवं नियमानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उपर्युक्त तालिका के कम संख्या–1 से 3 पर अंकित पदधारकों को शासन द्वारा अनुमन्य वेतन, मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते नियमानुसार देय होगें। विद्यालय के भूतकाल में निदेशालय स्तर से स्वीकृत पदों तथा इस शासनादेश द्वारा सृजित पद की गणना के आधार पर जनशक्ति के विवरण इस शासनादेश की प्राप्ति के 07 दिन के भीतर जारी कर दिये जायेगें।

7. यदि विद्यालय के लेखे एवं वित्तीय मामलों में गम्भीर अनियमिततायें हो तो अनुदान सूची में लेने के 02 (दो) वर्ष के अन्दर इन कमियों को दूर करना अनिवार्य होगा। यदि 02 वर्ष के भीतर विद्यालयों द्वारा कमियों को दूर नहीं किया गया तो उन्हें अनुदान सूची से बहिष्कृत कर दिया जायेगा।

8. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2013–14 के अनुदान संख्या–11 आयोजनागत के अधीन लेखा शीर्षक 2202–सामान्य शिक्षा–02–माध्यमिक शिक्षा, 110–गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायता–03–गैर सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को सहायक अनुदान–01–आवर्तक अनुदान–43–वेतन भत्ते आदि के लिये सहायक अनुदान के नाम डाला जायेगा।

9. यह आदेश वित्त विभाग के अ0शा0सं0–172(P)XXVII(3)/2013–14, दिनांक 08 फरवरी, 2014 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(एस राजू),
प्रमुख सचिव।

संख्या– (1) /xxiv–4/2014, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
2. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 मुख्यमंत्री जी के सूचनार्थ।
3. निजी सचिव, मा0 शिक्षा मंत्री, उत्तराखण्ड शासन को मा0 शिक्षा मंत्री जी के सूचनार्थ।
4. महानिदेशक, विद्यालयी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
5. सभापति, उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
6. मण्डलीय अपर शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी।
7. मुख्य शिक्षा अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी (मा0), चमोली।
8. कोषाधिकारी, चमोली।
9. सम्बन्धित विद्यालय के प्रबन्धक/प्रधानाचार्य।
10. वित्त विभाग/नियोजन प्रकोष्ठ/माध्यमिक शिक्षा अनुभाग–3, उत्तराखण्ड शासन।
11. एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 तोमर)
उप सचिव

H.C.